

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आईएसओ १० ९००८:२०१५ प्रमाणित संरचना)

प्रेषक:- सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी-१२७०२१	रेखा मे., प्राचार्य, <i>Happy Child Shiksha Samiti</i> , V.P.O - Kohli , Teh - Kohli, Distt. - Rewari
--	--

क्रमांक: ५।५०।० / डी.एड.सम्बद्धता

दिनांक: ०६/०४/२०२१

महोदय/महोदया,

आपकी संस्था को महसि दयानन्द किल्लविद्यालय, रोहतक एवं कुरुक्षेत्र किल्लविद्यालय, कुरुक्षेत्र द्वारा २००९-१० में दी गई अस्थायी सम्बद्धता के आधार पर ऐकिक सत्र २०२०-२१ के लिये इस बोर्ड द्वारा निम्न जर्तों पर अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

१. संस्था बोर्ड/शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं से सम्बन्धित जो निर्देश समय-समय पर जारी किये जाते हैं, उनकी दृढ़ता से पालन करेगी।
२. बोर्ड/शिक्षा विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था किसी भी स्तर पर पाठ्य योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन नहीं करेगी।
३. संस्था परीक्षाओं के संचालन के लिए अपनी संस्था का भवन/फर्नीचर एवं अपने स्टाफ की सेवाएं बोर्ड को उपलब्ध करवायेगी। बोर्ड द्वारा भवन एवं फर्नीचर का किराया आदि नहीं दिया जायेगा।
४. संस्था बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोर्ड को पूर्ण सहयोग देगी जिससे नकल/इम्परसोनेशन एवं अन्य अनियमितताओं पर पूर्ण नियन्त्रण किया जा सके।
५. बोर्ड के निर्देश पर शिक्षकों/छात्रों का रिकार्ड तथ्यों की जांच हेतु उपलब्ध करवाया जायेगा।
६. संस्था का निरीक्षण बोर्ड द्वारा गठित कमेटी/नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।
७. संस्था द्वारा एन.सी.टी.ई. के निर्देशनुसार गवर्निंग बॉडी का गठन किया जाना अनिवार्य है।
८. रवीकृत सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
९. संस्था अपने मूल स्थान से भवन को दूसरी जगह एन.सी.टी.ई. की स्वीकृति के बिना शिफ्ट नहीं करेगी।
१०. संस्था अस्थायी सम्बद्धता जारी रखने के लिये प्रत्येक ऐकिक सत्र में ५००००/- रुपये सम्बद्धता शुल्क भेजा जाना आवश्यक है।
११. संस्था द्वारा इन नियमों का पालन नहीं करने की अवस्था में बोर्ड को संस्था की सम्बद्धता रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

मार्च २०२१
अधीक्षक(सम्बद्धता)
कृतो: सचिव